उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-06/2026/आई/1358238/2026/10-22099/1401/2020
लखनऊः दिनांक 09 जून, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन छठे वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01-01-2026 से महँगाई राहत की स्वीकृति।

उत्तर प्रदेश के ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन छठे वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के अधीन नहीं हुआ है अथवा नहीं होना है, को राज्य सरकार द्वारा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-29/2025/आई/1137406/2025-फा0नं0-10-22099/1401/2020 दिनांक-10 नवम्बर, 2025 द्वारा दिनांक 01-07-2025 से देय महँगाई राहत की मासिक दर 257 प्रतिशत स्वीकृत की गयी थी।

2- उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन छठे वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के अधीन नहीं हुआ है अथवा नहीं होना है, को दिनांक 01-01-2026 से निम्नानुसार महँगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तिथि जब से देय है	महँगाई राहत की मासिक दर
01-01-2026	262 प्रतिशत

3- यह स्पष्ट किया जाना है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन स्वीकृत अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

6- उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को तद्नुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं आडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र० शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।
8- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
9- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10- महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
राहुल कुमार
अनु सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।